

षोडश माला, खंड 20, अंक 7

गुरुवार, 24 नवंबर, 2016
3 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें

विषय-सूची

**षोडश माला, खंड 20, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)
अंक 7, गुरुवार, 24 नवंबर, 2016 / 3 अग्रहायण, 1938 (शक)**

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	10-11
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121	14-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 140	16
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	16

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

सदस्य द्वारा अस्वीकार्य और अपमानजनक व्यवहार 17

सदस्य द्वारा त्यागपत्र 18

सभा पटल पर रखे गए पत्र 20-28

मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2015-16 और 2016-17) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 272वें और 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विजय गोयल 29

नियम 377 के अधीन मामले 30-45

(एक) राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान को कलुषित या अपमानित करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले 31

(दो) झारखंड के देवघर में 'एम्स' जैसे संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकान्त दुबे 32

- (तीन) जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी को रोके जाने की आवश्यकता

श्री जुगल किशोर 33

- (चार) मध्य प्रदेश के अगर-मालवा जिले में विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री रोड़मल नागर 34

- (पांच) झेरडा से सिरोही मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 35

- (छह) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री विद्युत वरण महतो 36

- (सात) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी 37

- (आठ) बिहार के रोहतास जिले में सोलर पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 38

- (नौ) किसानों को पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों से बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्रियों की खरीद करने में समर्थ बनाने हेतु उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यपाल सिंह

39

- (दस) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नियमित अंतराल पर सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर रंजन चौधरी

40

- (ग्यारह) विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर

41

- (बारह) कांचीपुरम से तिरुमालापुर बरास्ता चेन्नई बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती के. मरगथम

42

- (तेरह) तमिलनाडु में ग्रैंड एनिकट कैनाल परियोजना के पुनरुद्धार हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. परसुरमन

43

- (चौदह) उड़ीसा के अस्का स्थित बबनपुर में गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री लडू किशोर स्वाई

44

(पंद्रह) सिक्किम में पक्योग हवाई अड्डे के निर्माण में विलंब के बारे में

श्री प्रेम दास राई

45

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 24 नवंबर, 2016 / 3 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री राम नरेश यादव के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए छठी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री यादव वर्ष 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री यादव राज्य सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री राम नरेश यादव का निधन लखनऊ में 22 नवम्बर, 2016 को 88 वर्ष की आयु में हुआ।

हम श्री राम नरेश यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है।

माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कर्नाटक संगीतज्ञ डॉक्टर एम. बालमुरलीकृष्ण का 22 नवंबर, 2016 को 86 वर्ष की आयु में हुए निधन के बारे में भी सूचित करना है।

बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे डॉक्टर बालमुरलीकृष्ण असीम प्रतिभावान संगीतकार के रूप में उभरे। डॉक्टर बालमुरलीकृष्ण को पद्मभूषण तथा फ्रांस की सरकार के शैवेलियर ऑफ दि ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स (ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डॉक्टर बालमुरलीकृष्ण ने न केवल गायक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया बल्कि उन्होंने संगीतकार, कवि, विविध वाद्ययंत्रों के वादक, राग और ताल के प्रवर्तक तथा अभिनेता के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से भारत ने एक महान संगीतज्ञ खो दिया है।

हम डॉक्टर एम. बालमुरलीकृष्ण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

माननीय सदस्यगण, सभा अफगानिस्तान के काबुल की एक मस्जिद पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने की निंदा करती है। आतंकी हमले की कड़ाई से निंदा करते हुए सभा यह दोहराती है कि भारत की जनता सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने में अपने अफगानी भाइयों और बहनों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है और आतंकवादियों को मिलने वाले समर्थन, सुरक्षित स्थान और उनकी शरणस्थली को तुरंत समाप्त करने की मांग करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति दूंगी लेकिन अभी नहीं। आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या आपकी भी यही मांग है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे प्रश्नकाल के बाद लिया जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है कि यह स्थगन प्रस्ताव है लेकिन मैं अभी आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): इस पर डिस्कशन होनी जरूरी है क्योंकि सारे देश में 75 से ज्यादा लोग मर चुके हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : यह हर दिन यही हो रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि यह स्थगन प्रस्ताव है, तो आप इसे मध्याह्न 12 बजे ला सकते हैं।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री रवनीत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल

के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : मुझे इस बात का खेद है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे**प्रश्न का मौखिक उत्तर¹**

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 121, श्री रवनीत सिंह।

(प्रश्न संख्या 121)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए सरकार की कोई मंशा है?... (व्यवधान) स्टेट हाईवे से एक तरफ दस किलोमीटर रोड बन जाती है और दूसरी तरफ से भी दस किलोमीटर रोड बन जाती है, लेकिन बीच में दो-तीन किलोमीटर का स्पेस बचता है, अगर वह कनेक्ट हो जाए तो 25 किलोमीटर की एक साइकिल रोड बन जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर कृषि उपज को लाने के लिए जरूरी है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए कोई प्लान है? पहले डुएल कनेक्टिविटी डकैत एरिया में, वामपंथी उग्रवाद एरिया में होती थी, अब वामपंथी उग्रवाद एरिया में डुएल कनेक्टिविटी है, लेकिन डकैत एरिया से अलग हो गई है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई सैटेलाइट कनेक्टिविटी का विचार है?... (व्यवधान)

¹ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ाने की मंशा रखती है। ... (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर डिजिटल इंडिया है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ने वाली है और लोगों की सुविधाएं भी बढ़ने वाली हैं। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस प्रकार का अभी हम लोगों ने कुछ विचार नहीं किया है, लेकिन पूरे देश के लिए भारत सरकार की जो योजना है, उसमें कनेक्टिविटी सब जगह जोड़ी जाएगी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, हाईवे भी शामिल हैं और अन्य स्थान भी शामिल हैं। इस दिशा में काम चल रहा है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव: माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में मुझे पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं मिली है। ... (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि महाराष्ट्र राज्य में कई सड़कों को जोड़ा जाना बाकी है और उन पर कार्य शुरू किया जाना है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस बात का खेद है। यह कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2* प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 140
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610)

2* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**सदस्य द्वारा अस्वीकार्य और अपमानजनक व्यवहार**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जब प्रश्नकाल चल रहा था, उस समय श्री अक्षय यादव, संसद सदस्य ने कुछ कागजात फाड़े और उन्हें अध्यक्ष के आसन और सभा पटल की तरफ फेंका। लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम 349 (21) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य "सभा में अभ्यापत्तिपूर्वक दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा"। श्री अक्षय यादव का यह व्यवहार सदन के नियमों और परंपराओं के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों और शिष्टाचार का घोर उल्लंघन है। सदस्य का यह व्यवहार उनके लिए और सभा की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए भी उचित नहीं है।

अतः, मैं श्री अक्षय यादव के आचरण पर अपनी घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें चेतावनी देती हूँ कि भविष्य में वे इस तरह के अनुशासनहीन कृत्यों से बचें।

मध्याह्न 12.01 बजे**सदस्य द्वारा त्यागपत्र**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि पंजाब के अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने 23 नवम्बर, 2016 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री एच.डी. देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमल नाथ, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के.सी. वेणुगोपाल, सुदीप बंद्योपाध्याय, धर्मेन्द्र यादव, डॉ. ए. संपत, प्रो. सौगत राय, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, सर्वश्री जितेन्द्र चौधरी, जय प्रकाश नारायण यादव, के.एन. रामचन्द्रन, मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, पी. करुणाकरण, मोहम्मद सलीम, दुष्यन्त चौटाला, एन.के. प्रेमचंद्रन और कोडिकुन्नील सुरेश से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

हालांकि, ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज के कार्य को रोका नहीं जा सकता है। इन मामलों को अन्य साधनों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ... (व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.04 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

... (व्यवधान)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री और जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5386/16/16]

... (व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5387/16/16]

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5388/16/16]

(तीन) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5389/16/16]

(चार) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड तथा एन.एच.पी.सी. लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5390/16/16]

(पांच) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5391/16/16]

(छह) टी.एच.डी.सी. लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5392/16/16]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, जो 11 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.677(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खान और खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान) (संशोधन) नियम, 2016, जो 31 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.837(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 2356(अ), जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5393/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियां एन.एल.सी. तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियां एन.एल.सी. तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5394/16/16]

- (ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2015-2016 के कामकाज की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक और खंड दो) (भाग एक और दो), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5395/16/16]

... (व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कामराजर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5396/16/16]

- (2) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5397/16/16]

(3) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय मोटर-यान (9^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 8 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.868(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय मोटर-यान (10^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय मोटर-यान (11^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 16 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.889(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय मोटर-यान (12^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 20 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय मोटर-यान (13^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 23 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.904(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय मोटर-यान (14^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 23 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केंद्रीय मोटर-यान (15^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 23 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केंद्रीय मोटर-यान (16^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.954(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केंद्रीय मोटर-यान (17^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स.का.नि.953(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केंद्रीय मोटर-यान (18^{वां} संशोधन) नियम, 2016 जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स.का.नि.963(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5398/16/16]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.2489(अ), जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53) (अमरावती-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का.आ.2490(अ), जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (दिल्ली/हरियाणा सीमा रोहतक-हिसार खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2524(अ), जो 25 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 422(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.2694(अ), जो 11 अगस्त 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिंपल गांव-नासिक-गोंडे खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पांच) का.आ.2695(अ), जो 11 अगस्त 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी (भीम-परसौली-गुलाबपुरा-शाहपुरा-जहाजपुरा-हिंडोल-नैनवां-उनियारा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छह) का.आ.2696(अ), जो 11 अगस्त 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 348) और 4 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 48) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सात) का.आ.2723(अ), जो 17 अगस्त 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ) का.आ.2820(अ), जो 31 अगस्त 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का.आ.2846(अ), जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना सं. का.आ.838(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.2909(अ), जो 9 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा-शिवपुरी-भोगनीपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.3010(अ), जो 21 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 (लादनू-खातु-डेगना-मैर्टा सिटी-लम्बिया-जैतरण-रायपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का.आ.3011(अ), जो 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में चार लेन के आगरा सिटी बाईपास के प्रयोग के लिए या तो अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकर्ता शुल्क के माध्यम से शुल्क के संग्रहण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ.3012(अ), जो 21 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37ए पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कलियाभोमोरा पुल को प्रयोक्ता शुल्क के उदग्रहण से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ.3097(अ), जो 30 सितम्बर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.3098(अ), जो 30 सितम्बर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रयोक्ता शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के लिए उसमें उल्लेखित बी.ओ.टी. (टोल) परियोजनाओं के रियायतियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ.3271(अ), जो 24 अक्तूबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53) (तालेगांव-अमरावती-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.3381(अ), जो 3 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50) (हासपेट-चित्रदुर्ग खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5399/16/16]

... (व्यवधान)

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): महोदया, मैं श्री अजय टम्टा की ओर से, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5400/16/16]

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2015-16 और 2016-17) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 272वें और 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति^{3*}

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): मैं युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2015-2016 और 2016-17) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 272^{वें} और 277^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

... (व्यवधान)

^{3*} सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5401/16/16

अपराह्न 12.06 बजे**नियम 377 के अधीन मामले^{4*}**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे गए माना जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार सदस्य व्यक्तिगत रूप से मामले का पाठ सभा पटल पर सौंप सकते हैं।

... (व्यवधान)

^{4*} सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान को कलुषित या अपमानित करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : देश में आतंकवादियों की याद में आयोजित कार्यक्रमों की घटनाएं और देश विरोधी नारे लगाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, यही नहीं, देश में राष्ट्रवाद पर बहस और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की शिकायतों के प्रकाश में आने संबंधी मामले भी चिन्ताजनक है। हालांकि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान के संबंध में कानूनी कार्यवाही व सजा का प्रावधान है। इसके लिए सरकार ने "द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल हॉनर एक्ट 1971 " और "फ्लैग कोड ऑफ इंडिया-2002 " बना रखे हैं।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित करें और इनका अपमान करने वालों को चिह्नित करने और समाज वास्ते कठोर कदम उठाने हेतु राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

(दो) झारखंड के देवघर में 'एम्स' जैसे संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): मैं देश के प्रत्येक राज्य में 'एम्स' जैसे संस्थान स्थापित करने की प्रस्तावित योजना के संबंध में और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के लोगों के सरोकार के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

झारखंड राज्य सरकार ने एम्स योजना के लिए भूमि आबंटित करने का काम किया है, जिसमें देवघर में 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराना शामिल है, जो कि राज्य का एक जिला है। यहां प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ भी स्थित हैं जहां हर साल 5 करोड़ तीर्थयात्री आते हैं। साथ ही, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी प्रस्तावित है।

देवघर में 'एम्स' जैसा संस्थान स्थापित करने पर जोर देने की मेरी मुख्य वजह इसका केंद्रीय स्थान है, जिससे देवघर-दुमका और गोड्डा के मरीजों को आने-जाने में आसानी होगी। देवघर कोलकाता-पटना मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है और यह तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ा है।

देवघर संथाल परगना क्षेत्र के मुख्य केंद्रों में से एक है और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा संथाल परगना क्षेत्र पिछड़ा, गरीब और अत्यधिक अभावग्रस्त है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं और यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि जनस्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में कटौती और स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ती असमानताएँ संथाल परगना के गरीब और कमजोर लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। यह क्षेत्र कुपोषण से प्रभावित है, जहां अनुमानित रूप से 75 प्रतिशत बच्चे और माताएं रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं।

इस प्रकार, मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि जमीन की उपलब्धता, केंद्रीय अवस्थिति, परिवहन अवसंरचना और झारखंड के लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह अत्यंत वांछनीय है कि देवघर, झारखंड में एम्स स्थापित किया जाए और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

**(तीन) जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी को रोके जाने की
आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू): पाकिस्तान की तरफ से रोजाना हो रही गोलीबारी के संबंध में मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का रोकने हेतु तुरंत आवश्यक ठोस कदम उठाये जायें।

(चार) मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ (मध्य प्रदेश) मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां के निवासियों की आजीविका कृषि एवं कृषि उत्पादन संबंधी कार्यों पर निर्भर है। क्षेत्र के नवगठित जिले आगर-मालवा में विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने व शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के गरीब, आति पिछड़े वर्ग तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालक व बालिकाओं के लिए 100-100 बिस्तरों वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके लिए मैं क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मंत्री महोदय व सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि मिलने में विलंब से छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उक्त दोनों छात्रावासों के शीघ्र निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें।

(पांच) झेरडा से सिरौही मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : गुजरात स्थित डीसा से घानेरा राष्ट्रीय राजमार्ग (168) घोषित किया गया है। गुजरात स्थित झेरडा से सिरौही राजमार्ग वाया मंडार रेवदर होते हुए यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से मिल जाता है। झेरडा से सिरौही मार्ग पर दिन-प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने के कारण भारी वाहनों का आवागमन बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग पर मंडार और रेवदार दो घनी आबादी वाले शहर हैं। इन शहरों के पास दिन में ट्रैफिक जाम हो जाना अब आम बात हो गयी है। जिससे आम नागरिकों को स्कूल जाने वाले छात्रों को और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए रेवदर और मंडार कस्बे के पास इस मार्ग पर बाईपास का निर्माण कराया जाए।

अतः झेरडा से सिरौही मार्ग पर यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें।

(छह) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के जनहित से जुड़ी आतिमहत्वपूर्ण मुख्य मांग रेल से संबंधित है जो निम्नलिखित है। विदित है कि यहाँ पर दर्जनों केन्द्रीय माइंस हैं, एस.सी.एल., यू.सी.आई.एल. और कॉपर यूरेनियम हैं। यहां दो हॉल्ट स्टेशनों की वर्षों से पुरानी माँग है। (1) घाटशिला धालमूगढ़ के बीच चीरुडीह में (2) हल्दीपुर और वहल्दा (उड़ीसा) के बीच सिद्धिसाई में (यहाँ पर एक मात्र ट्रेन चलती है तथा ये सिंगल लाईन है) जुगलसाई आर.ओ.बी. एवं चाकुलिया आर.ओ.बी. को 5 वर्ष पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। फिर भी रेलवे के द्वारा अभी तक किसी प्रकार के काम को शुरू नहीं किया गया है। साथ ही साथ दो नई आर.ओ.बी. गदड़ा और आसनबनी तथा घाटशिला (कुतलुड़ी) में स्वीकृत की जाय एवं घाटशिला स्टेशन परिसर पूरी तरह जर्जर है इसका नवीनीकरण किया जाय तथा धालमूगढ़, गालुडीह, राखा, गोविन्दपुर स्टेशनों को ऊंचा एवं सौन्दर्यीकरण किया जाये। दो नई रेलवे लाइनों का विस्तार (1) चाकुलिया बहरागोड़ा होते हुए बान्द्रापोषी के बुडामारा तक (2) काण्ड्रा से नाकुम (राँची) तक इन दोनों रेलवे लाइनों का स्वीकृति के साथ-साथ पूरा एस्टीमेट बना हुआ है, इसके कार्य को जल्द शुरू किया जाये।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उपरोक्त सभी मांगों को पूरा करने की कृपा की जाये।

**(सात) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं
खोलने की आवश्यकता**

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज) : उ.प्र. का जनपद महाराजगंज मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यह जनपद भारत-नेपाल सीमा का क्षेत्र है। यहां के लोग बड़ी संख्या में रोजगार की दृष्टि से बाहर जाते हैं। नेपाल का बॉर्डर होने के नाते यहाँ बड़ी संख्या में केंद्र तथा राज्य के विभिन्न विभागों के आधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं। इसके आतिरिक्त यहाँ पर अनेकों लघु उद्योग, दो बड़े उद्योग भी हैं। रेलवे तथा सड़क मार्ग से भी आवागमन होता है। जनपद में वित्तीय लेन-देन के लिए पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं न होने से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों की शाखाएं दूर होने के कारण खाता धारकों को जमा व निकासी के लिए आने-जाने में अपराधिक तत्वों द्वारा लूटपाट की शिकायतें भी आती रहती हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उ.प्र. के जनपद महाराजगंज में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं पर्याप्त संख्या में खोले जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(आठ) बिहार के रोहतास जिले में सोलर पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) के रोहतास जिलान्तर्गत बरकट्टा से लेकर रोहतास फोर्ट तक परती पड़ी जमीन में सोलर पार्क की स्थापना आति आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अघौरा प्रखण्ड (कैमूर) के कुल 108 गाँवों में मात्र 3 गाँवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है, जिससे आदिवासी बाहुल्य यह इलाका अंधकार में डूबा हुआ है तथा रोहतास जिला के पिपरडीह एवं रोहतासगढ़ पंचायत में वन विभाग के अवरोध के कारण वहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है।

सोलर पार्क की स्थापना के लिए 500-1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जिसकी पर्याप्त उपलब्धता है एवं रोहतास फोर्ट परिसर लगभग 28 मील की परिधि में फैला हुआ है।

सोलर पार्क की स्थापना से बिजली एवं पानी से वंचित पिछड़े क्षेत्र की बड़ी आबादी को रोशनी मिलेगी। बिजली एवं पानी के अभाव में यहाँ के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास अवरुद्ध है तथा विकास की मुख्य धारा से सर्वथा वंचित होने के कारण इनका भविष्य अंधकारमय है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने के कारण यह क्षेत्र उग्रवाद की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है।

विकास से वंचित समाज के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ प्रतिष्ठ नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण जन-समस्या का संज्ञान लेना अनिवार्य प्रतीत होता है।

अतः मेरा विशेष अनुरोध है कि सोलर पार्क की स्थापना हेतु यथाशीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

(नौ) किसानों को पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों से बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्रियों की खरीद करने में समर्थ बनाने हेतु उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : मैं सरकार का ध्यान आतिमहत्वपूर्ण विषय "500 " और "1000 " रूपए के नोट बंदी के दौरान किसानों की विवशता की आकृष्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि सवरविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आधिकांश भारतीयों का मुख्य रोजगार खेती है। कहते हैं कि भारत की आत्मा खेत-खलिहानों में वास करती है। किसानों के लिए मध्य अक्टूबर से नवम्बर तक फसलों की बुआई, खासकर गेहूँ, दलहन (चना, मसूर, मूंग और खेसारी), तिलहन (तोड़ी, सरसो और अलसी) और आलू की बुआई का समय होता है। इन दिनों किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं इत्यादि खरीदनी पड़ती हैं, पर सरकारा 500 और 1000 रूपए के नोटों को बदलने और निकालने के लिए बैंकों और डाकघरों में लम्बी-लम्बी कतारें लगी रहती हैं। ऐसी नाजुक घड़ी में किसान खेत की जुताई करने, बुआई के लिए बीज, खाद और कीटनाशक दवाईयाँ खरीदने के लिए कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए कहीं कोई स्थान का निर्धारण नहीं किया गया है। जहाँ किसान द्वारा 500 और 1000 रूपए का नोट स्वीकार्य कर खाद, बीज और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि स्वास्थ्य केन्द्रों, पेट्रोल पंपों, बिजली ऑफिसों की तरह कई जगह जैसे ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय इत्यादि में किसानों से 500 और 1000 रूपए का नोट लेकर बीज, खाद इत्यादि सामग्री प्रदान की जाए और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी, जो लगान की राशि जमा करते हैं, का सख्त निर्देश दिया जाए कि किसानों द्वारा 500 और 1000 रूपए का नोट राजस्व के रूप में स्वीकार किए जाएं।

(दस) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नियमित अंतरालों पर सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सतर्कता और निगरानी समिति का गठन ऐसे जिलों में विकास कार्यों की निगरानी के लिए किया जाता है, जिनके लिए कल्याण कार्यक्रमों सहित अन्य विभिन्न कार्यक्रमों हेतु केंद्र सरकार द्वारा धन आबंटित किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों को प्रत्येक जिले में सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक की चर्चा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। यह आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2012 से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सतर्कता और निगरानी समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप, मैं विकास गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता हूँ और अपने निर्वाचन क्षेत्र और जिले में हो रहे किसी भी कार्य के बारे में सुझाव देकर किसी प्रकार से अपना कोई योगदान नहीं दे सकता हूँ या उन कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर बैठक का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं ताकि जनप्रतिनिधि अपने वैध अधिकारों से वंचित न रहें।

(ग्यारह) विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र श्री नजीब अहमद 15 अक्टूबर से लापता हैं, जिन्हें कथित तौर पर एक प्रतिद्वंद्वी छात्र संगठन के सदस्यों द्वारा हिंसक हमलों और जान से मारने की धमकियाँ दी गई थीं।

उनके लापता होने के बाद से एक महीने का समय बीत चुका है और पुलिस उसका पता लगाने में विफल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन उचित जांच करने और दोषियों को दंडित करने में विफल रहा है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत जुटाने वाले प्रत्यक्षदर्शियों को खुलेआम डराया और धमकाया जा रहा है।

विश्वविद्यालय, जो अब तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जाना जाता था, अब एक सांप्रदायिक लहर का सामना कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि छात्र को धमकी देने के लिए उसकी मुस्लिम पहचान का जिक्र करते हुए अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया था। इससे विश्वविद्यालय के छात्रों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। शैक्षणिक संस्थाएं धर्मनिरपेक्ष होती हैं और उन्हें ऐसा ही बना रहना चाहिए।

मैं इस सरकार से आग्रह करता हूँ कि नजीब को खोजने के अपने प्रयासों में वांछित तेजी लाए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि परिसर में छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी देने के लिए कदम उठाए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे तथा सार्वजनिक स्थलों पर हमारे संविधान के आदर्शों को पूर्ण रूप से बहाल करने का प्रयास करे।

(बारह) कांचीपुरम से तिरुमालापुर बरास्ता चेन्नई बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती के. मरगथम (कांचीपुरम): रेलवे भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देता है।

कांचीपुरम रेलवे स्टेशन, जो दक्षिणी रेलवे जोन के चेन्नई रेलवे डिवीजन का एक हिस्सा है, स्थानीय बस स्टैंड के बहुत करीब है और चेन्नई हवाई अड्डे से 72 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। कांचीपुरम रेलवे स्टेशन स्थानीय और उपनगरीय यातायात के प्रमुख मार्गों में से एक है, क्योंकि यह चेन्नई बीच - तिरुमालापुर-श्रीपेरम्बुदुर को जोड़ता है, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। आम आदमी परिवहन के लिए मुख्य रूप से इस पर निर्भर है।

चेन्नई बीच-तिरुमालापुर-सेंट्रल-श्रीपेरम्बुदुर के बीच ईएमयू की सुविधा बहुत खराब है। केवल 9 लोकल ट्रेनें प्रतिदिन परिचालित होती हैं, जो पूर्वाह्न 05:40 बजे से रात्रि 08:20 बजे तक चलती हैं; जिनमें पांच तिरुमालापुर तक और चार चेन्नई बीच तक चलती हैं। प्रत्येक ईएमयू के बीच का समयान्तराल लगभग 1 से 2 घंटे है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कांचीपुरम से चेंगलपट, चेंगलपट से तांबरम और फिर अपनी शेष यात्रा तय करनी पड़ती है।

इस संबंध में, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि कांचीपुरम-चेन्नई बीच-तिरुमालापुर के बीच लोकल ईएमयू ट्रेन सेवा की संख्या 9 से बढ़ाकर कम से कम 15 की जाएं और हर ट्रेन के बीच के समयान्तराल को कम करके कम से कम 30 मिनट किया जाए। यह कार्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के व्यापक हित में काफी मददगार साबित होगा।

(तेरह) तमिलनाडु में ग्रैंड एनिकट कैनाल परियोजना के पुनरुद्धार हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. परसुरमन (तंजावुर): तमिलनाडु में कृषि के लिए भूजल ही जल का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में वहाँ के भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक ग्रैंड एनिकट कैनाल परियोजना प्रणाली के नवीनीकरण सहित विभिन्न प्रयास किए थे। इस परियोजना का पहला चरण प्रधानतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है जिसमें मुख्य नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और मॉडरेशन का कार्य शामिल है। नहर का यह खंड 148.654 किलोमीटर लंबा है जिसमें सहायक नदियां और जलाशय आदि शामिल हैं तथा यह मुख्य रूप से तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। इसे केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने भी 06.10.2016 को मंजूरी दी थी। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से तमिलनाडु के किसानों के हितार्थ अत्यंत पुरानी इस परियोजना के लिए 2298.75 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूँ ताकि कावेरी डेल्टा क्षेत्र, जो तमिलनाडु के 50 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है, में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के अलावा मानसून के दौरान बारिश के पानी का संचयन किया जा सके।

(चौदह) उड़ीसा के अस्का स्थित बबनपुर में गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री लडू किशोर स्वाई (अस्का): मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का में स्थित एकमात्र गन्ना उद्योग की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो हजारों गन्ना किसानों की जरूरतों को पूरा करता रहा है। अस्का गन्ना सहकारी समिति पिछले कुछ दशकों से गन्ना उत्पादकों की सहायता करती आ रही है। हालांकि, कई वर्षों से यह देखा गया है कि नई तकनीक और नवाचार के लाभ को सुलभ बनाने हेतु इन किसानों को दी जानेवाली अनुसंधान सहायता की कमी सहित विभिन्न कारणों से गन्ने की उत्पादकता में कमी आई है। इसलिए, नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने और नई जानकारीयों प्रदान करने से उक्त उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

अतः, बबनपुर (अस्का चीनी मिल के पास) में एक गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाए, जहां राज्य सरकार के पास इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है। इससे न केवल हजारों गन्ना किसानों के जीवन और आजीविका की रक्षा होगी, बल्कि यह राज्य और राष्ट्रीय राजकोष में भी योगदान देगा।

(पंद्रह) सिक्किम में पक्योंग हवाई अड्डे के निर्माण में विलंब के बारे में

श्री प्रेम दास राई (सिक्किम): मैं सरकार का ध्यान ग्रीनफील्ड पक्योंग हवाई अड्डे के निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब की ओर आकर्षित करता हूं। सिक्किम चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक पहाड़ी राज्य है। रेलवे लाइन तक कोई पहुंच नहीं होने और बार-बार भूस्खलन की वजह से एन.एच. 10 की खराब स्थिति के कारण, पक्योंग हवाई अड्डे को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है, जो 2008 से निर्माणाधीन है।

समय और लागत में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत लगभग 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 600 करोड़ रुपये हो गई है। एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। सिक्किम में हवाई अड्डा, सिक्किम के लिए कनेक्टिविटी का न केवल एक वैकल्पिक और तेज साधन प्रदान करेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, जिससे सिक्किम और उसके लोगों को वृहत्तर रूप में आर्थिक लाभ होगा।

मेरी मांग है कि भारत सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए और समय गँवाए बिना इसे वर्ष 2017 में ही पूरा करे।

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 25 नवम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016 / 4 अग्रहायण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न
ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
